

न्यायालय उप जिलाधिकारी जयसिंहपुर सुल्तानपुर।

संख्या: 2016046807376

अन्तर्गत धारा 10(1)(b) के अन्तर्गत  
ग्राम जोरगा परगना बरीसा  
तहसील जयसिंहपुर जिला सुल्तानपुर।

328

शरद मल्लम भाई पटेल महाविद्यालय  
र घोषित द्वारा सुमित्रा देवी कृषकत्व  
इ.ए. द्वारा प्रत्येक कमलकान्त नामी

बनाम  
आदेश

प्रश्नगत काद शरद मल्लम भाई पटेल महाविद्यालय राबालिसा ग्राम सुमित्रा देवी कृषकत्व  
द्वारा दिनांकी परगना बरीसा तहसील जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर द्वारा प्रत्येक कमलकान्त नामी  
को 2000 रु. तक रास वरना नामी निवासी ग्राम तिरवाली परगना बरीसा तहसील जयसिंहपुर द्वारा इस प्रकार से  
प्राप्त किया है कि यह रास जोरगा की खतबे नम्बर 14/19-1424फ80 के अन्तर्गत संख्या 81 का  
खतबे 2/214080 में से संख्या 1/012080 का पैगवा लेकर इसमें महाविद्यालय का विमोचकत्व प्राप्त  
विद्यालय संतुलित करा रहा है। वादभूमि में कृषि कार्य नहीं होता है। अतः प्रत्येक कमलकान्त नामी  
को 80 के अन्तर्गत अर्थात् घोषित किया जाय। साथ में काद भूमि से घोषित करवा करवा कर  
नामा की घोषाप्रति दायित्व की है।

प्रकरण में तहसीलदार जयसिंहपुर से अख्या दिनांकी 25/01/2016 प्राप्त की गयी है। यह पत्र  
अपनी अख्या में कहा है कि काद भूमि का संख्या 82 का सम्पूर्ण रकबा प्रत्येक कमलकान्त नामी  
की द्वारा संख्या 1/012080 में विद्यालय भवन व विद्यालय कोमरा बनाकर वादभूमि की है। यह  
प्रकार में प्रयोग किया जा रहा है। काद भूमि में वादी पक्षी संकल्पों व सहभूमि प्रयोग करने से  
प्रकार में कृषि कार्य नहीं होता है। वाद भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का वाद प्रयोग नहीं  
है। अतः प्रकरण काद भूमि को संख्या 80-2006 की धारा 80 के अन्तर्गत घोषित करवा करवा करवा  
करवा दी गयी है।

मैं तहसीलदार की अख्या से सहमत हूँ। काद भूमि में वादी प्रयोग करवा करवा करवा करवा  
सुनिश्चित करवा है और अन्तर्गत विद्यालय भवन व कोमरा बनाकर वादभूमि का वाद भूमि में  
प्रयोग होता है।

अतः उपरोक्त के आशोक में ग्राम जोरगा परगना बरीसा की खतबे 14/19-1424फ80 का  
संख्या 81 की धारा संख्या 82/214080 में से संख्या 1/012080 का पैगवा लेकर वादभूमि में  
घोषित किया जाता है। यह कृषि प्रयोजनार्थ घोषित रकबा का अन्तर्गत वादभूमि की धारा 80-2006  
का 1419-1424फ80 के अन्तर्गत संख्या 81 की धारा संख्या 82/214080 के अन्तर्गत वादभूमि में  
किया जाय तथा न्यायिक विमोचकत्व वाली खतबे नम्बरों में भी करवा करवा करवा करवा करवा  
प्रकार में घोषित करवा करवा करवा करवा करवा करवा करवा करवा करवा करवा करवा करवा करवा करवा  
सुल्तानपुर जयसिंहपुर की गयी जाय। तदनुसार परगना जयसिंहपुर जयसिंहपुर जयसिंहपुर  
सुल्तानपुर जयसिंहपुर जयसिंहपुर की जाय।



दिनांक फरवरी 17, 2016  
29/258  
27/6112  
13-04  
20/6112  
12/2016

सत्य-प्रतिनिधि  
राजेश्वर अशोकचरण  
कलेक्टर सुल्तानपुर  
दिनांक 20/6/19

16/17/216  
शरद मल्लम भाई पटेल  
उप जिलाधिकारी  
जयसिंहपुर  
दिनांक 20/6/19  
2169-20